न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 34/2025
सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 7/2025
सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 13/2025
सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 14/2025

राजस्थान सरकार जरिये, रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी

...........प्रार्थी

बनाम

1. श्री शक्ति सिंह रावत पुत्र श्री सोहन सिंह रावत निवासी मंगलम रेजीडेन्सी, प्रगति नगर, कोटड़ा, अजमेर
2. श्री मिठ्ठूसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रावत निवासी सूरजकुण्ड, झाला की चौकी, ब्यावर।
3. श्री मनोज कुमार पुत्र लल्लू निवासी महमूद नगर, भेरीखुर्द पुलिस थाना कदावरा, जिला जालौन उत्तरप्रदेश।
4. श्री तरूण चावला पुत्र जगदीश चावला निवासी केसरगंज, पुलिस थाना क्लॉक टावर, जिला अजमेर
5. प्रो. मैसर्स अग्रवंशी इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 2/बी–ए, 2/बी–बी/2/बी–सी उदयपुर खुर्द किशनगढ, अजमेर
6. प्रो. मैसर्स सत्यम रोडलाईन्स ऑफिस नं0 103, गोल्डन पोईन्ट, प्लाट नं0 31 सेक्टर–बी, गांधीधाम (कच्छ) 370201
7. श्री गोविन्द सिंह रावत पुत्र नानू सिंह रावत निवासी गांव कोराज, मांगलियावास, अजमेर।

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी	प्रवर्तन अधिकारी	पेरोकार सरकार
श्री शक्ति सिंह रावत	स्वयं	अप्रार्थी 01
श्री टीकम सिंह रावत	अभिभाषक	अप्रार्थी 04 व 7
श्री विनोद पंवार	अभिभाषक	अप्रार्थी 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक–06.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 17.03.2025 को किशनगढ के थानाधिकारी श्री भीकाराम काला द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी गई कि खोडा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया में पेट्रोलियम उत्पादो का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है, दिनांक 17.03.2025 को रात अधिक हो जाने के कारण दिनांक 18.03.2025 को श्री नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय के निर्देशन में गठित जांच दल मौके पर पहुँच कर कार्यवाही की गई। वक्त मौका मौजूद श्री भीकाराम काला थानाधिकारी थाना किशनगढ द्वारा प्राप्त

रोजनामचा रिपोर्ट के अनुसार खोडामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया के एक व्यावसायिक भूखण्ड में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की सूचना मिलने पर श्री भीकाराम काला मौके पर पहुँचे। भूखण्ड चार दीवारी से घिरा हुआ था एवं वहा चोरी छिपे टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 ब्राउजर से एक टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 जिसमें पाइप द्वारा फयूल डाला जाना पाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 के चालक ने अपना नाम मिट्ठूसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रावत उम्र 52 साल निवासी सूरजकुण्ड झाला की चौकी, ब्यावर वाहन संख्या MH-04 LE 1320 के चालक ने अपना नाम गोविन्द सिंह रावत पुत्र पुत्र नानूसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी रावतों का बास, गांव कोराज, मांगलियावास जिला अजमेर होना बताया। एक अन्य व्यक्ति मनोज कुमार पुत्र लल्लू जाति अहीरवाल उम्र 45 साल निवासी महमूद नगर, भेरीखुर्द, पुलिस थाना कदावरा, जिला जालौन उत्तरप्रदेश, चौथे व्यक्ति ने अपना नाम तरूण पुत्र जगदीश चावला उम्र 37 साल जाति जीनगर, निवासी केसरगंज, पुलिस थाना क्लॉक टावर, जिला अजमेर होना बताया। पुलिस द्वारा अपनी रोजनामचे रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 17.03.2025 की रात एक व्यक्ति जो इनके साथ था, वह फरार हो गया जिसका नाम शक्ति सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत, निवासी हाल मंगलम रेजिडेन्सी प्रगति नगर कोटडा, अजमेर होना बताया। शक्ति सिंह को टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 का मालिक होना तरूण चावला द्वारा अपने बयान में बताया गया है। मौके पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के पहुँचने पर उक्त भूखण्ड में प्रथम दृष्टया बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की कार्यवाही होने की पुष्टि होना पायी गई। वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 जो कि 29000 लीटर क्षमता, पांच कम्पार्टमेन्ट वाला टैंकर है, एक टैंकर ब्राउजर MH-04 LE 1320 जिसकी क्षमता 6000 लीटर, जिसमें 3000–3000 लीटर के दो कम्पार्टमेन्ट है, इस पर SUMIYE PETROCHEM FUELLING लिखा है एवं Oil Company Indian Oil का लोगो छपा है। इसमें FUEL Oil देने के लिये डिस्पेंसिग यूनिट भी लगी है। मौके पर वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 के चालक से प्राप्त इनवाइस के अनुसार इस वाहन में सत्यम रोडलाईन्स द्वारा दिनांक 12.03.2025 को कान्दला गुजरात से अग्रवंशी इण्डस्ट्रीयल उदयपुर कलां किशनगढ के नाम 29890 किग्रा दर 47/– रूपये प्रति किग्रा कुल अमाउन्ट रूपये 16,57,699/– जीएसटी सहित फ्यूल ऑयल दिनांक 12.03.2025 को भेजा गया है। मौके पर वाहन संख्या MH-04 LE 1320 में डिस्पेंसिग यूनिट को चालू करवा कर देखने पर उसके टोटेलाइजर में कुल विक्रय की रीडिंग नही आ रही थी, लेकिन दिनांक 17.03.2025 को इससे जिस वाहन में अंतिम बार फ्यूल भरा गया था उसकी रसीद मौके पर श्री तरूण चावला द्वारा जनरेट की गई, जिसके अनुसार 100.40 लीटर फ्यूल 9057.08 रूपये अर्थात 90.21 रूपये प्रति लीटर की दर से वाहनो में भरा जा रहा था। मौके पर उपस्थित चारो आरोपियों के पृथक से बयान कलमबद्ध किये गये। आरोपियो के बयान से स्पष्ट है कि इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एवं विक्रय संबधी कारोबार किया जा रहा था। मौके पर दोनो पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकरो को धर्मकांटे पर तुलवाने पर टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 का कुल वजन (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) 40190 किग्रा एवं टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) का कुल वजन 10420 किग्रा पाया गया। मौके पर पेट्रोल पम्प के कार्मिक गणेश पुत्र लक्ष्मण

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

जी निवासी किशनगढ (कार्मिक के.एस. एनर्जी स्टेशन किशनगढ) को बुलवा कर दोनो टैंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ के नियमानुसार सैम्पल लेकर सीलबंद किया गया, जिसकी फर्द सैम्पल पृथक से बनाई गई। मौके पर वाहन संख्या **GJ-12 BV 9115** का अनाधिकृत स्थान पर पाया जाना इससे महाराष्ट्र नम्बर के टैंकर में फ्यूल ऑयल विक्रय करने हेतु खाली करना पाया। टैंकर चालक द्वारा उपलबध करवाई गई इनवाइस अनुसार फ्यूल ऑयल की कान्दला से खरीद दर 47/— रूपये प्रति लीटर 55.47/— प्रति लीटर जीएसटी सहित होना इस फयूल ऑयल का 90/— रूपये की दर से विक्रय करना एवं टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** पर काम करने वाले तरूण चावला के बयान से अजमेर के आस पास के क्षेत्रो बडल्या पालरा इत्यादि स्थानो में वाहनो को फ्यूल ऑयल विक्रय करना कार्यवाही स्थल के भूखण्ड पर बडी मात्रा में फ्यूल संग्रहण की व्यवस्था होना यह सिद्ध करता है कि इस स्थान पर अवैध रूप से कारोबार बिना किसी वैध दस्तावेजो/अनुज्ञापत्र ऑयल कम्पनी की अनुमति के चलाना, महाराष्ट्र नम्बर टैंकर **MH-04 LE 1320** के मालिक शक्ति सिंह का पुलिस को देखकर फरार होना सभी अवैध रूप से पेट्रोपदार्थ के संग्रहण एवं विक्रय को दर्शाता है। उक्त कृतय मोटर सिप्रट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड संख्या 3 (5)(6) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके से टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** मय पेट्रोपदार्थ, टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** मय पेट्रोपदार्थ, एक पम्पसेट, दो प्लास्टिक पाइप, दो डिप रोड, एक लीटर गेज, पेट्रोपदार्थ निकालने का पाइपनुमा लोहे का मैन्यूअल पम्प को जब्त कर सुपुर्दगी में थानाधिकारी किशनगढ श्री भीकाराम काला को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए दिये गये एवं सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखा गया। उक्त प्रकरण के सबंध में दिनांक 18.03.2025 को पुलिस थाना किशनगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0052/18.03.2025 दर्ज कराई गई है एवं दोनो टैंकर में मौजूद पेट्रोलियम जैसे पदार्थ के नियमनुसार सैम्पल लेकर रिपोर्ट हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये है। मौके से जब्त उक्त टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** मय पेट्रोपदार्थ, टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** मय पेट्रो पदार्थ, एक पम्पसेट, दो प्लास्टिक पाइप, दो डिप रोड, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं हाजिर। अप्रार्थी संख्या 4 व 7 की से श्री टीकम सिंह रावत एवं अप्रार्थी 05 की ओर से श्री विनोद पंवार अभिभाषक उपस्थित आये। पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 श्री मिट्ठूसिंह है जो वाहन टैंकर संख्या **GJ-12 BV 911** का वाहन चालक है। अप्रार्थी संख्या 3 श्री मनोज कुमार अन्य व्यक्ति था। अप्रार्थी संख्या 6 जो कि पेट्रोपदार्थ बेचानकर्त्ता हैं कि तलबी की आवंश्यकता नही होने बाबत निवेदन किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल प्रार्थना पत्र एवं सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17.03.2025 को किशनगढ के थानाधिकारी श्री भीकाराम काला द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी गई कि खोड़ा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया में पेट्रोलियम उत्पादो का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है, दिनांक 17.03.2025 को रात अधिक हो जाने के कारण दिनांक 18.03.2025 को श्री नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय के निर्देशन में गठित जांच दल मौके पर पहुँच कर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यवाही की गई। वक्त मौका मौजूद श्री भीकाराम काला थानाधिकारी थाना किशनगढ द्वारा प्राप्त रोजनामचा रिपोर्ट के अनुसार खोडामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया के एक व्यावसायिक भूखण्ड में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की सूचना मिलने पर श्री भीकाराम काला मौके पर पहुँचे। भूखण्ड चार दीवारी से घिरा हुआ था एवं वहा चोरी छिपे टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** ब्राउजर से एक टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** जिसमें पाइप द्वारा फ्यूल डाला जाना पाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में वाहन संख्या **GJ-12 BV 9115** के चालक ने अपना नाम मिट्ठूसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रावत उम्र 52 साल निवासी सूरजकुण्ड झाला की चौकी, ब्यावर वाहन संख्या **MH-04 LE 1320** के चालक ने अपना नाम गोविन्द सिंह रावत पुत्र पुत्र नानूसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी रावतों का बास, गांव कोराज, मांगलियावास जिला अजमेर होना बताया। एक अन्य व्यक्ति मनोज कुमार पुत्र लल्लू जाति अहीरवाल उम्र 45 साल निवासी महमूद नगर, भेरीखुर्द, पुलिस थाना कदावरा, जिला जालौन उत्तरप्रदेश, चौथे व्यक्ति ने अपना नाम तरूण पुत्र जगदीश चावला उम्र 37 साल जाति जीनगर, निवासी केसरगंज, पुलिस थाना क्लॉक टावर, जिला अजमेर होना बताया। पुलिस द्वारा अपनी रोजनामचे रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 17.03.2025 की रात एक व्यक्ति जो इनके साथ था, वह फरार हो गया जिसका नाम शक्ति सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत, निवासी हाल मंगलम रेजिडेन्सी प्रगति नगर कोटडा, अजमेर होना बताया। शक्ति सिंह को टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** का मालिक होना तरूण चावला द्वारा अपने बयान में बताया गया है। मौके पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के पहुँचने पर उक्त भूखण्ड में प्रथम दृष्टया बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की कार्यवाही होने की पुष्टि होना पायी गई। वाहन संख्या **GJ-12 BV 9115** जो कि 29000 लीटर क्षमता, पांच कम्पार्टमेन्ट वाला टैंकर है, एक टैंकर ब्राउजर **MH-04 LE 1320** जिसकी क्षमता 6000 लीटर, जिसमें 3000–3000 लीटर के दो कम्पार्टमेन्ट है, इस पर **SUMIYE PETROCHEM FUELLING** लिखा है एवं **Oil Company Indian Oil** का लोगो छपा है। इसमें **FUEL Oil** देने के लिये डिस्पेंसिग यूनिट भी लगी है। मौके पर वाहन संख्या **GJ-12 BV 9115** के चालक से प्राप्त इनवाइस के अनुसार इस वाहन में सत्यम रोडलाईन्स द्वारा दिनांक 12.03.2025 को कान्दला गुजरात से अग्रवंशी इण्डस्ट्रीयल उदयपुर कलां किशनगढ के नाम 29890 किग्रा दर 47/– रूपये प्रति किग्रा कुल अमाउन्ट रूपये 16,57,699/– जीएसटी सहित फ्यूल ऑयल दिनांक 12.03.2025 को भेजा गया है। मौके पर वाहन संख्या **MH-04 LE 1320** में डिस्पेंसिग यूनिट को चालू करवा कर देखने पर उसके टोटेलाइजर में कुल विक्रय की रीडिंग नही आ रही थी, लेकिन दिनांक 17.03.2025 को इससे जिस वाहन में अंतिम बार फ्यूल भरा गया था उसकी रसीद मौके पर श्री तरूण चावला द्वारा जनरेट की गई, जिसके अनुसार 100.40 लीटर फ्यूल 9057.08 रूपये अर्थात 90.21 रूपये प्रति लीटर की दर से वाहनो में भरा जा रहा था। मौके पर उपस्थित चारो आरोपियों के पृथक से बयान कलमबद्ध किये गये। आरोपियो के बयान से स्पष्ट है कि इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एवं विक्रय संबधी कारोबार किया जा रहा था। मौके पर दोनो पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकरो को धर्मकांटे पर तुलवाने पर टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** का कुल वजन (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) 40190 किग्रा एवं टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) का कुल

जिला कलक्टर
अजमेर

वजन 10420 किग्रा पाया गया। मौके पर पेट्रोल पम्प के कार्मिक गणेश पुत्र लक्ष्मण जी निवासी किशनगढ (कार्मिक के.एस. एनर्जी स्टेशन किशनगढ) को बुलवा कर दोनो टैंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ के नियमानुसार सैम्पल लेकर सीलबंद किया गया, जिसकी फर्द सैम्पल पृथक से बनाई गई। मौके पर वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 का अनाधिकृत स्थान पर पाया जाना इसरो महाराष्ट्र नम्बर के टैंकर में फयूल ऑयल विक्रय करने हेतु खाली करना पाया। टैंकर चालक द्वारा उपलबध करवाई गई इनवाइस अनुसार फयूल ऑयल की कान्दला से खरीद दर 47/- रूपये प्रति लीटर 55.47/- प्रति लीटर जीएसटी सहित होना इस फयूल ऑयल का 90/- रूपये की दर से विक्रय करना एवं टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 पर काम करने वाले तरूण चावला के बयान से अजमेर के आस पास के क्षेत्रो बडल्या पालरा इत्यादि स्थानो में वाहनो को फयूल ऑयल विक्रय करना कार्यवाही स्थल के भूखण्ड पर बडी मात्रा में फयूल संग्रहण की व्यवस्था होना यह सिद्ध करता है कि इस स्थान पर अवैध रूप से कारोबार बिना किसी वैध दस्तावेजो/अनुज्ञापत्र ऑयल कम्पनी की अनुमति के चलाना, महाराष्ट्र नम्बर टैंकर MH-04 LE 1320 के मालिक शक्ति सिंह का पुलिस को देखकर फरार होना सभी अवैध रूप से पेट्रोपदार्थ के संग्रहण एवं विक्रय को दर्शाता है। उक्त कृतय मोटर सिप्रट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड संख्या 3 (5)(6) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके से टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 मय पेट्रोपदार्थ, टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 मय पेट्रोपदार्थ, एक पम्पसेट, दो प्लास्टिक पाइप, दो डिप रोड, एक लीटर गेज, पेट्रोपदार्थ निकालने का पाइपनुमा लोहे का मैन्यूअल पम्प को जब्त कर सुपुर्दगी में थानाधिकारी किशनगढ श्री भीकाराम काला को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए दिये गये एवं सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखा गया। उक्त प्रकरण के सबंध में दिनांक 18.03.2025 को पुलिस थाना किशनगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0052/18.03.2025 दर्ज कराई गई है एवं दोनो टैंकर में मौजूद पेट्रोलियम जैसे पदार्थ के नियमनुसार सैम्पल लेकर रिपोर्ट हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये है। मौके से जब्त उक्त टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 मय पेट्रोपदार्थ, टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 मय पेट्रो पदार्थ, एक पम्पसेट, दो प्लास्टिक पाइप, दो डिप रोड, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात करने आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः जवाब में निवेदन किया गया कि ट्रेंकर संख्या MH-04 LE 1320 का मालिक मुझ अप्रार्थी को बताया गया है जबकि उक्त ट्रक मेरे नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब्तशुदा समस्त सामग्री का मुझ अप्रार्थी से कोई वास्ता नहीं है अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को मेरी हद तक निरस्त फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 7 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर सीधे ही बहस कर बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी/सुपुर्दीगार/मालिक Sumiye Petrochem Fulling LLP प्रोपराईटर गोविन्द सिंह रावत पुत्र श्री नानूसिंह रावत एवं तरूण चावला पुत्र जगदीश चांवला है। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर ने प्रथम सूचना संख्या 52/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वाहन टैंकर नम्बर MH-04 LE 1320 को मय ऑयल सहित जब्त किया गया है। उक्त वाहन कम्पनी के नाम रजिस्टर्ड है जिनके प्रोपराईटर प्रार्थीगण है उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। प्रार्थी

जिला कलक्टर
अजमेर

का उक्त वाहन रोजगार के काम में आने वाला साधन है। उक्त वाहन से सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन पुलिस थाने में खडा रहने से उसके खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी सुपुर्दगीनामे पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी को जब्तशुदा वाहन एवं उसमे निहित माल ऑयल को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

अप्रार्थीगण सं. 5 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जो फर्द जब्ती बनाई गई है उसमें समय अंकित नहीं किया गया है एवं ना ही स्थान जहां पर उक्त दस्तावेज निर्मित किया गया है का कोई उल्लेख दिया गया है। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा नापने की व्यवस्था नहीं थी इसलिये दोनो चालू वाहनो को धर्मकांटे पर तुलवाकर उसमें भरे पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा वजन नापने पर टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 मे इसके भार सहित 40190 ली0 एवं टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 में इसके भार सहित 10420 के.जी पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर पेट्रोल पम्प के कार्मिक गणेश पुत्र लक्ष्मण को बुलाकर दोनो टैंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ के नियमानुसार सेम्पल लेकर सीलबंद किया गया जिसकी फर्द सैम्पल पृथक से बनायी गई। प्रार्थी द्वारा Rvs petrochemicals limited तहसील बहादुरगढ झज्जर हरियाणा से फ्यूल ऑयल क्रय किया गया जिसके सन्दर्भ में इनवॉइस संख्या RVS/24-25/1699 एवं ईवे बिल संख्या 321957506024 दिनांक 12.03.2025 प्राप्त कर ली गयी थी। इनवॉइस संख्या RVS/24-25/1699 एवं ई वे बिल संख्या 321957506024 दिनांक 12.03.2025 से स्पष्ट है कि उक्त फ्यूल आयल की सुपुर्दगी प्रार्थी के स्थल किया जाना था जो कि पता भी इनवॉइस संख्या RVS/24-25/1699 एवं ई–वे बिल संख्या 321957506024 दिनांक 12.3.2025 में उल्लेखित किया गया है। उसी अनुरूप उक्त समस्त फ्यूल आयल जरिये वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 प्रार्थी के भूखंड पर परिवहन किया गया था। दिनांक 18.03.2025 की फर्द जब्ती से उक्त तथ्य भी निर्विवादित है की जांच दल को प्रार्थी के भूखंड में किसी भी तरह के भण्डारण का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है। इससे स्पष्ट है की किसी भी तरह का भण्डारण उक्त भूखंण्ड पर नही मिला था मात्र अंदेशा अभिव्यक्त किया गया है। प्रार्थी संस्थान फ्यूल ऑयल का व्यापार करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है एवं इस सन्दर्भ में जी.एस.टी पंजीकरण भी प्राप्त किया गया। अतः वाहन टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 मय पेट्रोपदार्थ प्रार्थी को बिना किसी शास्ति अधिरोपित किए सुपर्दगी करने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.03.2025 को किशनगढ के थानाधिकारी श्री भीकाराम काला द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी गई कि खोडा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया में पेट्रोलियम उत्पादो का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है, दिनांक 17.03.2025 को रात अधिक हो जाने के कारण दिनांक 18.03.2025 को श्री नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय के निर्देशन में गठित जांच दल मौके पर पहुॅच कर कार्यवाही की गई। वक्त मौका मौजूद श्री भीकाराम काला थानाधिकारी थाना किशनगढ द्वारा प्राप्त रोजनामचा रिपोर्ट के अनुसार खोडामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया के एक व्यावसायिक भूखण्ड में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की सूचना मिलने पर श्री भीकाराम काला मौके पर

जिला कलक्टर
अजमेर

पहुँचे। भूखण्ड चार दीवारी से घिरा हुआ था एवं वहा चोरी छिपे टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 ब्राउजर से एक टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 जिसमें पाइप द्वारा फ्यूल डाला जाना पाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 के चालक ने अपना नाम मिट्ठूसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रावत उम्र 52 साल निवासी सूरजकुण्ड झाला की चौकी, ब्यावर वाहन संख्या MH-04 LE 1320 के चालक ने अपना नाम गोविन्द सिंह रावत पुत्र पुत्र नानूसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी रावतों का बास, गांव कोराज, मांगलियावास जिला अजमेर होना बताया। एक अन्य व्यक्ति मनोज कुमार पुत्र लल्लू जाति अहीरवाल उम्र 45 साल निवासी महमूद नगर, भेरीखुर्द, पुलिस थाना कदावरा, जिला जालौन उत्तरप्रदेश, चौथे व्यक्ति ने अपना नाम तरूण पुत्र जगदीश चावला उम्र 37 साल जाति जीनगर, निवासी केसरगंज, पुलिस थाना क्लॉक टावर, जिला अजमेर होना बताया। मौके पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के पहुँचने पर उक्त भूखण्ड में प्रथम दृष्टया बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार की कार्यवाही होने की पुष्टि होना पायी गई। वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 जो कि 29000 लीटर क्षमता, पांच कम्पार्टमेन्ट वाला टैंकर है, एक टैंकर ब्राउजर MH-04 LE 1320 जिसकी क्षमता 6000 लीटर, जिसमें 3000–3000 लीटर के दो कम्पार्टमेन्ट है, इस पर SUMIYE PETROCHEM FUELLING लिखा है एवं Oil Company Indian Oil का लोगो छपा है। इसमें FUEL Oil देने के लिये डिस्पेंसिग यूनिट भी लगी है। मौके पर वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 के चालक से प्राप्त इनवाइस के अनुसार इस वाहन में सत्यम रोडलाईन्स द्वारा दिनांक 12.03.2025 को कान्डला गुजरात से अग्रवंशी इण्डस्ट्रीयल उदयपुर कलां किशनगढ के नाम 29890 किग्रा दर 47/– रूपये प्रति किग्रा कुल अमाउन्ट रूपये 16,57,699/– जीएसटी सहित फ्यूल ऑयल दिनांक 12.03.2025 को भेजा गया है। मौके पर उपस्थित चारो आरोपियों के पृथक से बयान कलमबद्ध किये गये। आरोपियो के बयान से स्पष्ट है कि इस स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एवं विक्रय संबधी कारोबार किया जा रहा था। मौके पर दोनो पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकरो को धर्मकांटे पर तुलवाने पर टैंकर संख्या GJ-12 BV 9115 का कुल वजन (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) 40190 किग्रा एवं टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 (ट्रक एवं पेट्रोलियम पदार्थ के भार सहित) का कुल वजन 10420 किग्रा पाया गया। मौके पर वाहन संख्या GJ-12 BV 9115 का अनाधिकृत स्थान पर पाया जाना इससे महाराष्ट्र नम्बर के टैंकर में फ्यूल ऑयल विक्रय करने हेतु खाली करना पाया। टैंकर चालक द्वारा उपलबध करवाई गई इनवाइस अनुसार फ्यूल ऑयल की कान्डला से खरीद दर 47/– रूपये प्रति लीटर 55.47/– प्रति लीटर जीएसटी सहित होना इस फ्यूल ऑयल का 90/– रूपये की दर से विक्रय करना एवं टैंकर संख्या MH-04 LE 1320 पर काम करने वाले तरूण चावला के बयान से अजमेर के आस पास के क्षेत्रो बडल्या पालरा इत्यादि स्थानो में वाहनो को फ्यूल ऑयल विक्रय करना कार्यवाही स्थल के भूखण्ड पर बडी मात्रा में फ्यूल संग्रहण की व्यवस्था होना यह सिद्ध करता है कि इस स्थान पर अवैध रूप से कारोबार बिना किसी वैध दस्तावेजो/अनुज्ञापत्र ऑयल कम्पनी की अनुमति के चलाना पाया गया। उक्त प्रकरण के सबंध में दिनांक 18.03.2025 को पुलिस थाना किशनगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0052/18.03.2025 दर्ज कराई गई है। उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश

जिला कलक्टर
अजमेर

2005 के खण्ड संख्या 3 (5)(6) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके से जब्त उक्त टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** मे भरे पेट्रोपदार्थ, टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** मे भरे पेट्रोपदार्थ, एक पम्पसेट, दो प्लास्टिक पाइप, दो डिप रोड, एक लीटर गेज, पेट्रोपदार्थ निकालने का पाइपनुमा लोहे का मैन्यूअल पम्प को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ/सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commodity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** एवं टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एवं विक्रय संबधी कारोबार में लिप्त पाये गये हैं। उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी ने उक्त वाहन को निर्मुक्त करने का निवेदन किया है। लिहाजा वाहन टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** एवं टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार के परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण प्रत्येक वाहन पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि राजकोष में जमा कराने पर वाहन टैंकर संख्या **GJ-12 BV 9115** एवं टैंकर संख्या **MH-04 LE 1320** की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 07/2025, 13/2025, 14/2025 का निस्तारण इसी आदेश में किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर